समग्र विकास संस्थान, रोटा-बदायूं (उ०प्र)
वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, वर्ष - 2023-24

प्रस्तावना :- उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख शहरों में से एक बदायूं जो राज्य का महत्वपूर्व ज़िला है, बदायूं ज़िला उत्तर प्रदेश राज्य के "रूहेलखण्ड" में स्थित है जिसमे बदायूं के साथ साथ बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर व बिजनौर शामिल है ! बदायूं ज़िला गंगा नदी की सहायक नदी सोत नदी के समीप स्थित है, क्षेत्रफल की द्रष्टि से ज़िला बदायूं 4,234.21 Sq. Km. में फैला हुआ है । जनपद बदायूं की कुल आबादी 36,81,896 है, इनमे 19,67,759 पुरुष तथा 17,14,137 महिलाएं शामिल है तथा यहाँ के लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों की तुलना में 871 महिलाएं है । बच्चों की बात करें तो 0-6 वर्ष के कुल 6,64,909 बच्चे है इनमे 3,50,112 लड़के तथा 3,14,797 लड़कियां है, बच्चों का लिंगानुपात देखा जाये तो 1000 लड़कों के सापेक्ष 899 लड़कियां है जो वयस्क लिंगानुपात से अधिक है । जनपद बदायूं में कुल 15 ब्लॉक व 5 तहसील है जिसके अन्तर्गत कुल 1038 ग्राम पंचायतों के 1474 ग्राम शामिल है !

परिचय :- उत्तर समग्र विकास संस्थान एक बालाधिकार संस्था है जो वंचित समुदाय के बीच सामुदायिक जागरूकता के साथ साथ समस्त बाल्धिकारों पर कार्यरत है, संस्था टीम द्वारा जागरूकता बैठकों व सामुदायिक गोष्टी के माध्यम से लोगों को स्वेच्छिक सेवा दे रही है । वर्ष 1996 में संस्था के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा जी द्वारा अपने जैसे तमाम साथियों के साथ मिलकर समाज कार्य की शुरुआत की थी और सन 1996 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत समग्र विकास संस्थान बदायूं का गठन कर पंजीकृत करवाया गया था और तभी से संस्था अलग अलग एजेंसी के साथ मिलकर सामाजिक कार्य कर रही है, वर्तमान में संस्था NGO दर्पण, FCRA, ITACT 12(A) व 80 (G) के अन्तर्गत पंजीकृत है ।

विज़न और मिशन :- सामजिक उन्नति के लिए न्याय और समानता से परिपूर्ण समाज की स्थापना करना तथा सम्पूर्ण सामाजिक उन्नति के लिए लोगों को संगठित कर सशक्त बनाना ताकि वह अपने अधिकारों को सुनिश्चित कर सके !

सहयोगी एवं सहायक एजेंसी :-

1. क्राई-चाइल्ड राइट्स एण्ड यू, नई दिल्ली
2. चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन
3. जिव दया फाउंडेशन, यू०एस०

संस्था का लक्षित कार्यक्षेत्र :-

1. क्राई के सहयोग से विकास खण्ड उझानी व उसावां के 22 ग्रामों में बच्चों की शिक्षा व सुरक्षा पर कार्यरत है ।
2. चाइल्ड लाइन के सहयोग से विकास खण्ड उसावां के 52 ग्राम पंचायतों में बच्चों की सुरक्षा पर कार्यरत है ।
3. जिव दया फाउंडेशन के सहयोग से विकास खण्ड उसावां के 5 ग्रामों में बच्चों की पोषण शिक्षा पर कार्यरत है ।

संस्था द्वारा समुदाय स्तर पर किये गए कार्य

CBO समूह व महिला मण्डल के साथ की गई पहल :- संस्था स्टाफ द्वारा चिन्हित ग्रामों में बालाधिकार सुनिश्चित करवाने के लिए कार्यक्षेत्र के समस्त ग्रामों में समुदाय के सशक्त व जागरूक लोगों को एकत्रित कर महिला मण्डल व CBO समूह का गठन किया किया गया है, इनमे से महिला समूह में केवल महिलाओं को चुनकर समूह बनाया गया है जबकि CBO समूह में महिला एवं पुरुष दोनों को सम्मिलित करके सशक्त व जागरूक सदस्यों का समूह बनाया गया ! ग्रामों में गठित समूहों के साथ नियमित सम्पर्क व बैठकों के माध्यम से बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य व पोषण के विषय पर जानकारी देते हुए बताया गया कि माह अप्रैल में नामांकन सत्र प्रारम्भ हो जाता है तो आप लोग अपने-अपने बच्चों का समय से नामांकन करवाए जिससे बच्चे की शिक्षा बाधित न हो ! इसके अतिरिक्त समुदाय के लोगों को बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर बात करते हुए बाल विवाह, बाल श्रम, बाल लैंगिक हिंसा व बाल भिक्षावृत्ति आदि मुद्दों पर भी जागरूक किया गया जिससे कोई भी बच्चा इस कुप्रथा/कुरीति का शिकार न हो सके ! आगे जानकारी देते हुए बताया गया कि ग्राम स्तर पर गठित ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति व चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 पर काल कर सकते है अथवा लिखित में पत्र देकर सम्बंधित अधिकारियों से मिलकर जन पहल करने के बारे में समझाया गया ! संस्था द्वारा समुदाय के.लोगों को कानून की जानकारी के साथ-साथ सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जैसे मुख्य मंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य बाल श्रमिक विद्या योजना आदि के बारे में भी जानकारी दी गई और पात्र व्यक्तियों के योजना से जुड़वाने की बात की गई !

परिणाम

- ग्राम टिकरा व मिर्ज़ापुर अतिराज में दो श्रमिको का श्रम पंजीकरण करवाया गया !
- ग्राम गढ़ियाचौरा में CM हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद गॉव कमे सी०सी० रोड का निर्माण करवाया गया !
- ग्राम सरकी में CBO सदस्य के माध्यम से पैरवी करके एक बालिका को शादी अनुदान के तहत आर्थिक सहायता दिलवाई गई !
- ग्राम गालमपट्टी में महिला मण्डल की सदस्य की सक्रियता के चलते पलायन से ल;लौटे परिवार के बच्चों को आंगनवाड़ी के माध्यम से पोषाहार दिलवाया गया !
- ग्राम बछेली में CBO सदस्यों की पैरवी के चलते साफ़ सफाई हुई व जल भराव की समस्या का समाधान हुआ !
- ग्राम सूर्यनगला में महिला मण्डल की सदस्य द्वारा आंगनवाड़ी की निष्क्रियता को लेकर 1076 पर शिकायत की गई जिसके बाद ब्लॉक स्तरीय निरीक्षण हुआ और आंगनवाड़ी कार्यकत्री से स्पष्टीकरण माँगा गया !

(केस स्टोरी-1)

संस्था टीम द्वारा कार्यक्षेत्र के ग्रामों में बच्चों की शिक्षा व सुरक्षा के विषय को ध्यान में रखते हुए समुदाय के बीच शिक्षा के साथ साथ सरकारी सुविधाओं व योजनाओं की भी जानकारी देने का कार्य किया जाता है जिससे परिवार की सम्भव सहायता हो सके और बच्चा शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ा रहे ,इसी क्रम में ग्राम टिकरा व मिर्ज़ापुर अतिराज में CBO सदस्यों के साथ आयोजित बैठक में लोगों को बताया गया कि आप लोगों में से जो लोग भी श्रमिक कार्य करते है वह श्रम विभाग में अपना पंजीकरण करवा दें जिससे श्रम विभाग द्वारा अलग-अलग प्रकार की लगभग 18 योजनाओं) मातृत्व शिशु हित लाभ योजना ,चिकित्सा स्वास्थ्य योजना ,सन्त रविदास योजना ,सोलर योजना ,विवाह अनुदान योजना आदि (में लाभ मिल सकता है ! इसके अगले क्रम में लोगों को बताया गया कि श्रम विभाग करवाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड ,कर्मकार प्रमाणपत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होता है जिसकी 01 वर्ष की -/40 की फीस जमा होती है और 03 वर्ष की -/100फीस जमा होती है और उस निश्चित अवधि के बाद आपको अपना श्रम पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होगा ! पंजीकरण प्रक्रिया को समझाने के बाद यह भी बताया गया कि श्रम विभाग द्वारा संचालित किसी भी योजना में लाभ लेने के लिए आपका श्रम पंजीकरण 01 वर्ष पुराना होना चाहिए और पात्रता के अनुसार जिस योजना का लाभ लेना है उसके लिए आपको अलग से आवेदन करना होगा ! संस्था स्टाफ द्वारा आयोजित बैठकों के माध्यम से जानकारी देने के बाद ग्राम टिकरा के मुकेश कुमार व मिर्ज़ापुर अतिराज के वीरेश द्वारा श्रम विभाग में पंजीकरण करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करवाया गया जिसके बाद संस्था टीम द्वारा श्रम विभाग में सम्पर्क दोनों लोगों के आवेदन फॉर्म सत्यापित करवाते हुए श्रम पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करवाई गई !

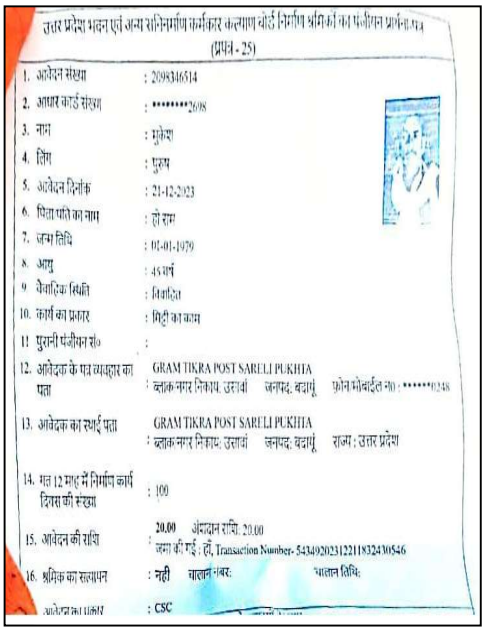

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निर्माण श्रमिकों का पंजीयन प्रार्थना पत्र
(प्रपत्र - 25)

1.	आवेदन संख्या	: 2098346514
2.	आधार कार्ड संख्या	: ********2698
3.	नाम	: मुकेश
4.	लिंग	: पुरुष
5.	आवेदन दिनांक	: 21-12-2023
6.	पिता/पति का नाम	: हो राम
7.	जन्म तिथि	: 01-01-1979
8.	आयु	: 45 वर्ष
9	वैवाहिक स्थिति	: विवाहित
10.	कार्य का प्रकार	: मिट्टी का काम
11	पुरानी पंजीयन सं०	:
12.	आवेदक के पत्र व्यवहार का पता	: GRAM TIKRA POST SARELI PUKHTA ब्लाक/नगर निकाय: उसावां जनपद: बदायूं फोन/मोबाईल न0 : ******0248
13.	आवेदक का स्थाई पता	: GRAM TIKRA POST SARELI PUKHTA ब्लाक/नगर निकाय: उसावां जनपद: बदायूं राज्य : उत्तर प्रदेश
14.	गत 12 माह में निर्माण कार्य दिवस की संख्या	: 100
15.	आवेदन की राशि	: 20.00 अंशदान राशि: 20.00 जमा की गई : हाँ, Transaction Number- 543492023122118324330546
16.	श्रमिक का सत्यापन	: नही चालान नंबर: चालान तिथि:
	आवेदन का प्रकार	: CSC

<u>बाल समूह, किशोर समूह व किशोरी समूह के साथ की गई पहल :-</u> संस्था स्टाफ द्वारा कार्यक्षेत्र के 22 ग्रामों में बच्चों के तीन अलग-अलग समूह बनाये गए है ! इनमे से एक समूह को "क्रांतिकारी बाल मंच" का नाम दिया गया है, इस समूह में 8-15 वर्ष के लड़के व लड़कियां दोनों शामिल करके कुल 15 बच्चों का समूह बनाया गया है ! इसके अतिरिक्त 13-18 वर्ष की आयु वर्ग के दो अलग-अलग समूह बनाये गए है, इनमे से एक समूह को "सावित्री बाई समूह" तथा दूसरे समूह को "आज़ाद समूह" के नाम से जाना जाता है ! इन समूहों का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे अपनी बात को रखने के लिए स्वयं तैयार हो और अपने हक अधिकारों के प्रति आवाज़ बुलंद कर सकें, उक्त समूहों के साथ हर माह बैठकें आयोजित की जाती है जिसमे बच्चों के साथ बाल अधिकार बाल विवाह बाल श्रम बाल भिक्षव्रत्ति शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आदि

बिन्दुओं पर जानकारी देकर उनका क्षमता वर्धन किया जाता है, इसके साथ साथ बच्चों को जीवन कौशल व लिंग भेदभाव के मुद्दे पर भी जानकारी दी जाती है !

- ग्राम अल्लापुर भोगी में बाल समूह के सदस्यों स्वयं से बैठक करने लगे है !
- ग्राम मीरासराय (गिहार बस्ती) में बाल समूह के बच्चे शिक्षा से वंचित बच्चों का नामांकन करवाने लगे है !
- ग्राम बछेली में किशोरी समूह की बालिकाओं द्वारा गॉव में साफ़ सफाई के लिए ग्राम प्रधान से बात की गई !
- ग्राम रसूलपुर नगला में किशोर समूह के सदस्य ने माध्यमिक विद्यालय खुलवाने की मांग की है !
- ग्राम मीरासराय गिहार बस्ती की किशोरियों ने ग्राम प्रधान से बात क्र बस्ती का हैण्डपम्प सही करवाया गया !

(केस स्टोरी-2)

ग्राम मीरासराय) गिहार बस्ती (में किशोरी समूह की बालिकाओं ने ग्राम प्रधान के साथ पैरवी कर बस्ती में लगे हैण्डपम्प की मरम्मत करवाई गई ,जिससे CAC पर नामांकित लगभग 85 बच्चों व बस्ती के 15 परिवारों के लोगों को पेयजल व्यवस्था मिलने लगी!

संस्था टीम द्वारा कार्यक्षेत्र के समस्त 22 ग्रामों में 18-12 वर्ष की किशोरियों का एक समूह गठित किया है जिसे किशोरी समूह का नाम दिया गया है ,जिसके साथ टीम द्वारा हर माह नियमित बैठकें की जाती है ! बैठकों के माध्यम से किशोरियों को उनके हक़/अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है साथ ही साथ माहवारी व जीवन कौशल जैसे आवश्यक विषयों पर भी जानकारी दी जाती है ! माह सितम्बर में आयोजित किशोरी बैठक में बस्ती की किशोरियों द्वारा बताया गया कि बस्ती में CAC के पास एक सरकारी हैण्डपम्प लगा है जो काफी समय से ख़राब हो गया है जिससे आस-पास के लगभग 15 परिवारों के लोग पानी भरते थे तथा CAC के बच्चों के लिए भी पीने का पानी वही से भरा जाता था परन्तु हैण्डपम्प ख़राब हो जाने से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है CAC ! टीचर द्वारा भी समस्या को रखते हुए बताया कि बच्चे पानी पीने का बहाने बनाकर अपने घर चले जाते है और बार बार उन्हें बुलाने जाना पड़ता है तो इसको ठीक करवाना बहुत ज़रूर है ! इस पर संस्था स्टाफ द्वारा किशोरी बालिकाओं को समझाया गया कि हम लोग ग्राम प्रधान को CAC पर बर्मन के लिए लेकर आयेंगे तो उस समय आप हैण्डपम्प की समस्या को उनके सामने रखना या फिर जब भी प्रधान जी बस्ती में दिखाई दें तो उनसे मिलकर हैण्डपम्प ठीक करवाने को कहें!

संस्था स्टाफ की बात को ध्यान में रखते हुए किशोरी समूह की सदस्य रमा ,संजना और स्नेहा ने ग्राम प्रधान के घर जाकर उनसे बात की और समस्या से अवगत कराया जिसपर प्रधान

जी द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द ही हम उसकी मरम्मत करवा देंगे ! ग्राम प्रधान द्वारा मिले आश्वासन के बाद कुछ समय इंतज़ार के बाद पुनः किशोरियों द्वारा ग्राम प्रधान से मिलकर बात की गई तब जाकर ग्राम प्रधान द्वारा हैण्डपम्प की मरम्मत करवाई गई जिससे CAC के बच्चों व आस पड़ोस के लोगों को पेयजल व्यवस्था संचालित हुई!

विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) के साथ की गई पहल :- संस्था द्वारा कार्यक्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों को सक्रिय करने के लिए समय समय बैठकों के माध्यम से उनका क्षमता वर्धन किया गया जिसमे लोगों को बताया गया कि परिषदीय विद्यालय के सुचारू रूप से संचालन के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक विद्यालय के लिए विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन किया है, समिति का दायित्व है कि हर माह सभी सदस्य मिलकर विद्यालय स्तर अपनी एक बैठक आयोजित करें जिसमे विद्यालय से सम्बन्धित सभी मुद्दों पर एक दूसरों के साथ चर्चा कर उन पर साथ मिलकर कार्य भी करें ! SMC सदस्यों की ज़िम्मेदारी है कि वह समय समय पर आकर अध्यापकगण से मिलकर बच्चों का ठहराव उनकी शिक्षा की गुणवत्ता MDM की गुणवत्ता विद्यालय के आय व्यय आदि मुद्दों पर बात करें और इस दौरान यदि कोई समस्या आती है तो विद्यालय में होने वाली मासिक बैठक में सभी के समक्ष समस्या को रखते हुए उनको हल करवाने के लिए पहल करें !

(केस स्टोरी-3)

शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालय मीरासराय में आयोजित शिक्षा चौपाल में कार्यक्षेत्र के ग्राम मीरासराय गिहार बस्ती के 5 बच्चों व उनके अभिभावकों को शैक्षिक स्तर में अच्छा करने पर सम्मानित किया गया !

जनपद बदायूं के विकास खण्ड उसावां का एक ग्राम मीरासराय) गिहार बस्ती (जिसे संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 12-2011में अपने कार्यक्षेत्र में चिन्हित किया था और कार्य प्रारम्भ करने के लिए बस्ती के लोगों के साथ सम्पर्क बनाकर सर्वे किया गया जिसमे उनकी व बच्चों की शैक्षिक व आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित की गई तो देखा गया कि बस्ती के अधिकांश लोग अपना पुश्तैनी कार्य)जूता पॉलिश (करते है जबकि यहाँ के बच्चे कूड़ा बीनना ,भीख मांगने का कार्य करते है ,इसके साथ सच्चाई यह भी थी कि यहाँ के लोग देशी शराब बनाने व बेचने का भी कार्य करते थे !संस्था टीम द्वारा धीरे धीरे बस्ती के लोगों के साथ सम्बन्ध बनाये और उनके बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए अभिभावकों के साथ सम्पर्क ,बैठकें व FGD की गई जिसके परिणामस्वरुप कुछ अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हुए लेकिन जब वह विद्यालय गए तो विद्यालय की प्रधानाध्यापक द्वारा नामांकन करने से मना कर दिया और कहा कि यह बच्चे कूड़ा बीनते है गंदे रहता है हम यहाँ नामांकन नहीं करेंगे और अलग अलग अपशब्दों का प्रयोग करते हुए नामांकन

से इनकार कर दिया !संस्था टीम द्वारा शिक्षा विभाग के साथ पैरवी कर बच्चों को विद्यालय से जुड़वाया गया और बस्ती के कुछ बच्चे विद्यालय जाने लगे !कुछ समय बाद बस्ती में क्राई के सहयोग से संस्था द्वारा बाल गतिविधि केन्द्र (CAC) संचालित किया गया उस समय बस्ती के शिक्षा से वंचित सभी बच्चों को चिन्हित कर CACपर नामांकित करवाया गया और उनकी शैक्षिक स्तर में सुधार के बाद लगभग 123बच्चों को प्राथमिक विद्यालय से जुड़वाया गया जिसके बाद से लगातार बस्ती के बच्चों ने अपने माता पिता व बस्ती का नाम रौशन किया है !विगत वर्ष में बस्ती के बच्चों ने अपनी अपनी कक्षा में प्रथम व दूसरा स्थान प्राप्त किया जिसके लिए ग्राम प्रधान द्वारा उन्हें पुरुस्कृत किया गया था !

वर्तमान में सत्र में विद्यालय में नामांकित बच्चों में से %70 बच्चे गिहार बस्ती के नियमित विद्यालय जाते है और अध्यापकों के साथ भी अच्चा ताल मेल बन गया हैं ,माह अक्टूबर में विद्यालय स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया जिसमे मुख्य अतिथि के रूप में खण्ड शिक्षा अधिकारी ,उझानी)श्री शशांक शुक्ला (उपस्थित रहे इसके अलावा न्याय पंचायत शेखूपुर के अलग अलग विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व गॉव के लोग उपस्थित हुए ! शिक्षा चौपाल का उद्देश्य अभिभावकों व शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर बच्चों के निपुण लक्ष्य को पूर्ण करना है!विद्यालय स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता को देखते हुए बस्ती के 5 बच्चों व उनके अभिभावकों को खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा पुष्पमाला पहनाकर व कॉपी देकर सम्मानित किया गया !

अंशिका D/Oश्री गुलाब सिंह ऋषभ S/O श्री ओमकार रावी D/O श्री सोनी यश S/O श्री अर्जुन गुनगुन D/Oश्री चन्दन	

बच्चों का नामांकन करवाने के लिए की गई पहल :- संस्था टीम द्वारा ग्राम स्तर पर बच्चों का नामांकन करवाने के लिए अलग अलग तरह से पहल कर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया उदाहरण के लिए 6 वर्ष पूर्ण किये बच्चों का आधार कार्ड बनवाना व उनको समझाना जबकी कक्षा-5, 8, 10, 12 पास बच्चों को उनकी आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए अलग प्रकार से शिक्षा के प्रति प्रेरित करना जबकि शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए अलग अलग गतिविधियाँ, संपर्क गोष्टियाँ आयोजित करना !

(केस स्टोरी-4)

ग्राम मिर्ज़ापुर अतिराज में प्रधानाध्यापक की मनमानी के चलते शिक्षा से वंचित हुई एक बालिका को पुनः शिक्षा से जुड़वाया गया ! संस्था स्टाफ द्वारा ग्राम मिर्ज़ापुरअतिराज में बच्चों की ट्रैकिंग की गई तो जानकारी मिली कि एक बालिका (राजबेटी पुत्री श्री भगवान दास) परिवार की विषम परिस्थितियों के कारण विद्यालय से ड्रॉपआउट हो गई थी ,संस्था स्टाफ द्वारा राजबेटी व उसकी माँ को समझाते हुए शिक्षा के महत्व को समझाया गया और कक्षा 6-में नामांकन करने को बताया गया ,लगातार प्रयास के चलते राजबेटी की माँ उसका नामांकन करवाने के लिए तैयार हुई !

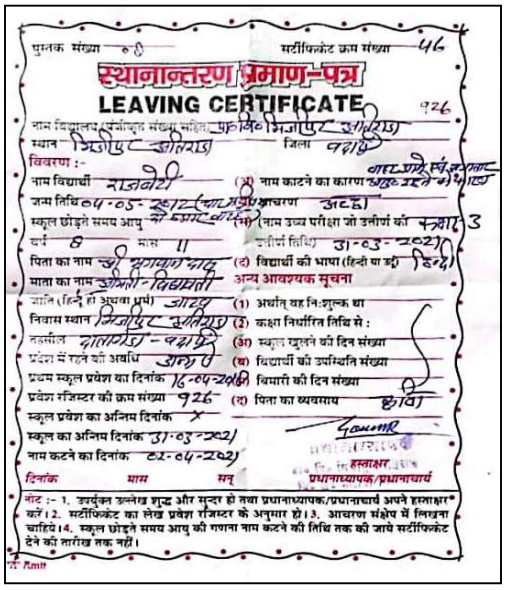

संस्था स्टाफ द्वारा बताया गया कि प्राथमिक विद्यालय से टी० सी० लेकर हमारे साथ चले हम पास के गॉव मसूदपुरा में कक्षा 6-में नामांकन करवा देंगे ,संस्था स्टाफ द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार अभिभावक ने विद्यालय जाकर टी० सी० मांगी गई तो अध्यापक ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए टी० सी० देने से इनकार कर दिया जिसको लेकर राजबेटी की माँ ने संस्था स्टाफ को

पुस्तक संख्या 08 सर्टीफिकेट क्रम संख्या 46

स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र

LEAVING CERTIFICATE

विवरण :-

नाम विद्यार्थी राजबेटी

अन्य आवश्यक सूचना

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य

नोट :- 1. उपर्युक्त उल्लेख शुद्ध और सुन्दर हो तथा प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य अपने हस्ताक्षर करें। 2. सर्टीफिकेट का लेख प्रवेश रजिस्टर के अनुसार हो। 3. आचरण संक्षेप में लिखना चाहिये। 4. स्कूल छोड़ते समय आयु की गणना नाम कटने की तिथि तक की जाये सर्टीफिकेट देने की तारीख तक नहीं।

अपनी समस्या बताई फिर अगले दिन संस्था स्टाफ द्वारा विद्यालय जाकर प्रधानाध्यापक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बच्ची ने 2वर्ष से हमारे विद्यालय ने कदम नहीं रखा है, हमारे अध्यापक जब बुलाने जाते थे तो अध्यापको को गली देती थी इसलिए हम टी० सी० नही देंगे ,संस्था स्टाफ ने काफी कोशिश की लेकिन उन्होंने टी० सी० नहीं दी और संस्था स्टाफ से भी कहा आपको जो करना हो कर लेना हम टी० सी० नही देंगे! संस्था स्टाफ द्वारा उक्त समस्या को लेकर संस्था समन्वयक से बात की तो संस्था समन्वयक द्वारा ABSA महोदया से मिलकर उक्त समस्या से अवगत कराया जिसको संज्ञान में लेते हुए ABSA द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी उसावां को आदेशित करते हुए छात्रा की टी० सी० दिलवाने को कहा गया और संस्था स्टाफ से कहा कि आप खण्ड शिक्षा अधिकारी उसावां से मिल लें बच्ची की टी० सी० मिल जाएगी !संस्था स्टाफ द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी से मिलकर बात की गई तो उन्होंने बताया की हमने अध्यापक से बोल दिया है आप विद्यालय चली जाये अध्यापक आपको टी० सी० दे देंगे ,संस्था स्टाफ जब गॉव में पहुंची तो जानकारी हुई कि विद्यालय के अध्यापक द्वारा राजबेटी के घर जाकर राजबेटी व उसकी माँ की अनुपस्थिति में उनके पिता जिनको इस बात की जानकारी नही थी उनसे एक पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए और फिर उसमे शिकायत को झूठा बताते हुए संस्था स्टाफ के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के लिए खण्ड

शिक्षा अधिकारी को पत्र लिख दिया ,उसके बाद भी संस्था स्टाफ द्वारा बच्ची की माँ से टी० सी० लेने विद्यालय जाने को कहा और वह टी० सी० लेने गई तब भी अध्यापक ने टी० सी० देने से मना कर दिया जिस पर संस्था स्टाफ द्वारा पुनः शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापक को डांटते हुए टी० सी० देने हेतु आदेशित किया जिसके बाद राजबेटी की टी० सी० प्राप्त हुई जिसके बाद संस्था स्टाफ द्वारा राजबेटी व उसकी माँ को पास के गॉव मसूदपुरा के उच्च प्राथमिक विद्यालय मसूदपुरा में ले जाकर कक्षा 6-में राजबेटी का नामांकन करवाया गया !

(केस स्टोरी-5)

श्रम विभाग ,बदायूं के सहयोग से संस्था कार्यालय बदायूं पर आधार नामांकन कैंप लगवाया गया!

संस्था टीम द्वारा कार्यक्षेत्र के ग्रामों में बच्चों की ट्रैकिंग की गई उस समय अधिकांश जगह देखने को मिला कि बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने है जिस कारण कहीं न कहीं वो लोग सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाते है ,ऐसे में स्टाफ द्वारा मासिक बैठक में समस्या को साझा किया गया जिस पर सबसे पहले आधार कार्ड से वंचित बच्चों की सूची बनवाने की बात हुई ! निश्चित कार्ययोजना के साथ सभी साथियों ने अपने अपने क्षेत्र में जाकर बच्चों की सूची बनाई गई और समुदाय के माध्यम से एक ज़िलाधिकारी ,बदायूं के नाम एक मांग पत्र तैयार किया गया जिसमे आधार बनवाने के लिए विशेष शिविर लगवाने की मांग की गई ! तैयार पत्रों के साथ संस्था समन्वयक द्वारा ज़िलाधिकारी कार्यालय पर जाकर एडवोकेसी की गई जिसमे ज़िलाधिकारी महोदय की अनुपस्थिति में अपर ज़िलाधिकारी महोदय से मिलकर बात की गई ! इस पर अपर ज़िलाधिकारी महोदय ने बताया कि इसके लिए विशेष शिविर तो नहीं लगवा सकते है जो आधार केन्द्र बने हुए है उन्ही पर जाकर आधार बनवाए यदि वहां पर आधार बनवाने में कोई दिक्कत आती है तो हम उसका समाधान करेंगे ! समस्या का समाधान न होने पर टीम के साथियों द्वारा बच्चों अपने-अपने ग्रामों में जाकर लोगों को समझाकर आधार केन्द्रों पर भेजकर कुछ बच्चों के आधार कार्ड बनवाए गए ! धीरे-धीरे समय बीतने के बाद देखने को मिला कि

समग्र विकास संस्थान व श्रम विभाग के संयुक्त प्रयास से बनाए गए बबच्चों के आधार कार्ड

बदायूं। दैनिक शाक्य समाचार।समग्र विकास संस्थान, बदायूं के तत्वावधान मे श्रम विभाग, बदायूं के सहयोग से संस्था कार्यालय पर आधार नामांकन कैम्प का आयोजन किया गया। संस्था पिछले 2 दशकों से वंचित समुदाय के बच्चों की शिक्षा व सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार के साथ मिलकर जन जागरूकता का कार्य कर रही है, इसी क्रम से संस्था समन्वयक मो० हन्नान ने सहायक श्रम आयुक्त,बदायूँ के साथ सम्पर्क करते हुए समस्या से अवगत कराया साथ ही बताया कि आधार कार्ड न होने की वजह से बच्चे सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते है। समस्या को संज्ञान में लेते हुए सहायक श्रम आयुक्त महोदय द्वारा समन्वय बनाते हुए कैम्प का आयोजन करवाया गया। कैम्प में संस्था क्षेत्र के 3 ग्रामों (अल्लापुरभोगी, नौशेरा, मीरासराय) के बच्चों के निःशुल्क आधार कार्ड बनाये गए।

बच्चों के दस्तावेज़ पूर्ण नही है और फिर प्राइवेट केन्द्रों पर आधार बनवाने के लिए सुविधा शुल्क भी देना पड़ रहा था जो समुदाय के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था ! ऐसे में संस्था समन्वयक द्वारा सहायक श्रम आयुक्त से मिलकर बात क्र समस्या से अवगत कराया ,साथ ही उन्हें बताया कि यह बच्चे आधार कार्ड न होने के कारण विद्यालय में नामांकित नहीं हो पा रहे है और नामांकन न होने के कारण यह बच्चे बालश्रम में लिप्त हो रहे है ! सहायक श्रमआयुक्त (ALC) द्वारा समस्या को संज्ञान में लेते हुए आधार बनवाने वाली एजेंसी के ज़िला समन्वयक) आमिर जी (से सम्पर्क कर समस्या से अवगत कराया और बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए विशेष शिविर लगवाने की बात की गई ,जिसके बाद ALC द्वारा संस्था समन्वयक) मो० हन्नान (व आमिर जी के साथ अपने कार्यालय में बैठक की गई जिसमे आवश्यक दस्तावेज़ की बात हुई तो उन्होंने बताया कि

एक Form भरा जाएगा जिस पर GAZETTE OFFICER के हस्ताक्षर होंगे व बच्चों के अभिभावकों के आधार कार्ड लगेंगे तब आधार कार्ड बन जायेगा ,इस पर ALC सर ने कहा कि Form पर हस्ताक्षर हम कर देंगे ! इसके बाद सभी के साथ समन्वय बनाते हुए दिनांक 2023-08-22 को संस्था कार्यालय बदायूं पर आधार नामांकन कैंप लगवाया गया जिसमे लगभग 70 बच्चों के आधार कार्ड बनवाए गए!

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम

दिनांक 2024-03-08 -: स्थान -: पंचायत भवन ,बिचोला) वि० ख०-उसावां ,जनपद बदायूं(

दिनांक 2024-02-29 को संस्था कार्यालय पर आयोजित मासिक स्टाफ बैठक में प्लान के अनुसार आगामी माह की कार्ययोजना तैयार करने के बाद कार्यक्रम समन्वयक मो० हन्नान खांन ने टीम के साथियों के साथियों के साथ दिनांक 2024-03-08 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने पर चर्चा की गई ,जिस पर बैठक में उपस्थित सभी साथियों ने अपने-अपने विचार प्रस्तुत किये ! सभी के विचारों को सुनने के बाद संस्था अध्यक्ष श्री राजकुमार शर्मा जी ने निश्चित किया कि विकास खण्ड उसावां के ग्राम बिचोला के पंचायत भवन में दिनांक 2024-03-08 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा ! कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान श्रीमती प्रवेश कुमारी व विशिष्ठ अतिथि के रूप में ग्राम की आशा व M.N.A तथा गॉव में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को आमन्त्रित किया जायेगा ! कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके हक अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा अपने-अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जोड़ना होगा ,जिससे जागरूक होकर महिलाएं

अपने आने वाले जीवन में सक्षम होकर निर्णय लेने के प्रति जागरूक हो सके ! चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम समन्वयक मो० हन्नान खांन द्वारा कार्यक्रम आयोजित करने में स्टाफ की जिम्मेदारियों की भी चर्चा की गई जिससे कार्यक्रम के आयोजन में कोई समस्या/व्यवधान न हो और कार्यक्रम का सफल आयोजन किया जा सके ! फैसिलिटेटर हीरेंद्र सिंह द्वारा सभी साथियों के साथ बात करते हुए कार्यक्रम के दौरान निभाई जाने वाली ज़िम्मेदारियों पर जानकारी ली गई , जिस पर सभी साथियों ने अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी निश्चित की गई और पूर्ण निष्ठा के साथ ज़िम्मेदारी का निर्वहन किये जाने का संकल्प किया!

मासिक स्टाफ बैठक में निश्चित योजना के अनुसार दिनांक 2024-03-08 को ग्राम बिचोला के पंचायत भवन पर अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया ! कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान श्रीमती प्रवेश कुमारी तथा विशिष्ठ अतिथि के रूप में गॉव के रोज़गार सेवक श्री अवधेश कुमार तथा गॉव में उत्कृष्ट कार्य कर रही श्रीमती सरजू जी उपस्थित हुई तथा समग्र विकास संस्थान के अध्यक्ष श्री राजकुमार शर्मा जी द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई ! कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम संस्था से कम्युनिटी वर्कर कान्ती देवी ने अतिथियों में सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया ,इसी के साथ-साथ कार्यक्रम का संचालन कर रहे संस्था समन्वयक मो० हन्नान खांन द्वारा संस्था स्टाफ के साथियों के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का बैज व माला पहनाकर स्वागत/सम्मान करवाया गया ,संस्था की सीनियर फैसिलिटेटर श्रीमती साक्षी शर्मा के माध्यम से मुख्य अतिथि श्रीमति प्रवेश कुमारी ,संस्था अध्यक्ष राजकुमार शर्मा जी द्वारा रोज़गार सेवक श्री अवधेश कुमार व कम्युनिटी वर्कर श्रीमती कुसुम महेश्वरी द्वारा श्रीमति सरजू जी सम्मान/स्वागत किया गया और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संस्था की सीनियर फैसिलिटेटर साक्षी जी को महिला दिवस पर बात करने के लिए मन्च पर आमंत्रित किया!

सीनियर फैसिलिटेटर श्रीमती साक्षी जी द्वारा उपस्थित सभी किशोरियों व महिलाओं को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सर्प्रथम 28 फ़रवरी सन 1909 में अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर महिला दिवस मनाया गया बाद में फ़रवरी के आखिरी इतवार को महिला दिवस मनाया जाने लगा ! सन 1909 में महिलाओं ने अपने हक व अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हुए घरना प्रदर्शन किया जिसके माध्यम से उन्होंने अपने कार्यों के घंटे कम करने व पुरुषों के समान वेतन की मांग के साथ साथ

महिलाओं को भी वोट देने के अधिकार की मांग की ! सन 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन सम्मलेन में इसे अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया ,उस समय इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाना था क्यूंकि उस समय अधिकतर देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था ,इसके पश्चात सन 1911 में पहली बार क्लारा जेटकिन नामन जर्मन महिला ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की थी ! सन 1917 में फ़रवरी के आखरी इतवार के दिन रूस की महिलाओं ने महिला दिवस पर रोटी और कपड़े के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया और इसी हड़ताल के चलते ज़ार ने सत्ता छोड़ी और अंतरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया ! उस समय रूस में जुलियन कैलंडर के मुताबिक़ 23 फ़रवरी का दिन था जबकि पूरी दुनिया में ग्रेगेरियन कैलंडर के अनुसार 08 मार्च का दिन था इसलिए पूरे विश्व में 08 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा ! महिला दिवस के इसी इतिहास के बारे में जानकारी देने के साथ अपनी बात का समापन किया गया !

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम संचालनकर्ता द्वारा महिला दिवस के इतिहास पर अच्छे से प्रकाश डालने के लिए साक्षी जी का आभार व्यक्त किया और संस्था टीम से कम्युनिटी वर्कर कु० कान्ती जी से आग्रह करते हुए उपस्थित साथियों के साथ बालविवाह जैसी कुप्रथा के बारे में अपनी बात रखने के लिए आमन्त्रित किया!

कान्ती जी ने अपने वक्तव्य की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मन्च पर उपस्थित सभी अथितिगणों व कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों/साथियों को महिला दिवस की बधाई देते हुए बाल विवाह के विषय पर जानकारी देते हए बताया कि नाबालिग़ बच्चों) लड़का 21-वर्ष से कम और लड़की 18-वर्ष से कम (की शादी करना बालविवाह की श्रेणी के अन्तर्गत आता है जो कि कानूनन जुर्म व अपराध है ! हमारे देश में बाल विवाह) निषेध एवं प्रतिषेध (अधिनियम 2006 लागू है ,जिसके अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करता है या बाल विवाह करवाता है या बाल विवाह में शामिल भी होता है वो इस कानून के अनुसार जुर्म का भागीदार होगा और ऐसा करने पर उसे 2 वर्ष तक की सज़ा व 1 लाख रूपये तक के जुर्माना का प्रावधान है ! आगे जानकारी देते हुए बताया गया कि आपके आस-पास या गॉव में कहीं बाल विवाह हो रहा है तो आप सरकार द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्प लाइन के टोल फ्री नम्बर ,(1098) पुलिस हेल्पलाइन (112) पर फ़ोन कर इसकी सूचना दे सकते है अथवा सम्बंधित थाने पर ,ज़िला बाल विवाह निषेध अधिकारी/ज़िला प्रोबेशन अधिकारी ,बाल कल्याण

समिति आदि स्थानों पर लिखित व मौखिक प्रकार से सूचना दे सकते है ! इस कानून के अनुसार बाल विवाह की सूचना देने वाला का नाम भी गुप्त रखा जाता है ,आगे चर्चा करते हुए बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हुए जानकारी दी है और सभी से कहा कि आज महिला दिवस के अवसर पर हम सब लोग मिलकर यह निर्णय लें कि चाहें कुछ भी प्रयास करना पड़े लेकिन अपने अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे जिससे बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा सके साथ ही साथ बाल विवाह जैसी कुप्रथा से भी बच्चों को मुक्त कराया जा सके!

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संचालनकर्ता द्वारा बाल विवाह) निषेध एवं प्रतिषेध (अधिनियम 2006व बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों पर अच्छे से अपने बात रखने के लिए कान्ती जी का आभार व्यक्त किया और संस्था टीम से कम्युनिटी वर्कर शशि जी से आग्रह करते हुए उपस्थित साथियों के साथ समाज में व्याप्त बालश्रम जैसी कुरीति के बारे में अपनी बात रखने के लिए आमन्त्रित किया गया!

श्रीमती शशि ने अपनी बात को शुरुआत करते हुए कहा गया कि बालश्रम एक ऐसी सामाजिक कुरीति है जिससे आज हमारे देश के बच्चों का भविष्य अन्धेरा में चला जाता है ! बालश्रम) प्रतिषेध एवं विनियमन (संशोधन अधिनियम 2016के अनुसार हमारे देश में 14-6 वर्ष के किसी भी बच्चे कोई भी श्रम कार्य जिसके बदले उसे कुछ आर्थिक सहयोग या उसके समान किसी भी प्रकार का सहयोग किया जाता है वह बालश्रम की श्रेणी में आता है जोकि पूर्ण रूप से कानूनन अपराध है ! समाज में लोग ज़रा से पैसों के लालच में आकर बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से हटाकर उसे बालश्रम में लगते है जिससे उसका भविष्य ख़राब होता है ! सरकार द्वारा 14-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया है जिसके तहत 14-6 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को परिषदीय विद्यालयों के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का प्रावधान इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी बच्चों) लड़का व लड़की दोनों (को पढ़ाये और जो लोग बालश्र करवाते है वह आज ही अपने बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाये ! सरकार द्वारा ऐसे बच्चों के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना संचालित की है जिसके तहत 8 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को उनके आगे की शिक्षा के लिए -/1200 प्रतिमाह लड़की के लिए तथा -/1000 प्रतिमाह लड़कों के लिए दिए जाने का प्रावधान है !

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संचालनकर्ता द्वारा बाल श्रम) प्रतिषेध एवं विनियमन (संशोधन अधिनियम 2016 पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए शशि जी का आभार व्यक्त किया और संस्था टीम से कम्युनिटी वर्कर श्रीमती कुसुम माहेश्वरी जी से आग्रह करते हुए उपस्थित साथियों के साथ घरेलू हिंसा के विषय पर अपनी बात रखने के लिए आमन्त्रित किया गया!

साथी कुसुम जी द्वारा अपनी बात की शुरुआत करते हुए उपस्थित सभी महिलाओं को बताया कि घरेलू हिंसा एक ऐसी समस्या है जिसकी ज़िम्मेदार हम महिलाएं ही होती है क्यूंकि जब भी घर में लड़ाई झगड़े होते है तो या तो सास बहू के बीच या ननद भाभी की बीच से ही शुरू होते है और कुछ झगड़े ऐसे भी होते है जो पति पत्नी के बीच ही होते है इसलिए हमारा सबसे यह कहना है कि आपस में मिलजुलकर उनका समाधान करना चाहिए और यदि फिर भी उसका समाधान नही होता है तो हमे सरकार द्वारा संचालित महिला हेल्पलाइन , (1090) आशा ज्योति केन्द्र (181) व पुलिस परामर्श केन्द्र की सहायता लेना चाहिए ! घरेलू हिंसा से बचने के लिए कानूनी जानकारी के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई और इसी के साथ अपनी बात का समापन किया गया!

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संचालनकर्ता द्वारा घरेलू हिंसा के विषय पर अपने बात रखने और लोगों को आपस में मिल-जुलकर रहने के प्रति जागरूक करने के लिए कुसुम जी को धन्यवाद दिया और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती प्रवेश कुमारी) ग्राम प्रधान (से आग्रह करते हुए उपस्थित साथियों के समक्ष महिला दिवस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमन्त्रित किया गया!

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित ग्राम प्रधान श्रीमती प्रवेश कुमारी ने सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संस्था व उसके समस्त साथियों का आभार व्यक्त किया और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह हम लोग होली दीपावली व बाकी घार्मिक त्यौहार बड़े उत्साह से बनाते है ठीक उसी प्रकार हम लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए क्यूंकि यह वो दिन है जो हमे याद दिलाता है कि एक समय था जब

महिलाओं को सामाजिक रूप से किसी भी कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का मौका नहीं मिलता था केवल घर की चाहरदीवारी में बन्द रखा जाता था ! हम महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था और न ही महिलाओं को अपनी बात रखने का अधिकार था ,महिलाओं को सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए उपयोग किया जाता था इसलिए हम सभी लोगों को आज के दिन समय निकालकर इस पर विचार करना चाहिए कि कैसे हम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला ,कैसे हमे पुरुषों के समान वेतन का अधिकार मिला और कैसे हम महिलाओं को घर से बाहर आने जाने की आज़ादी मिली हालांकि समाज में आज भी महिलाएं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है जिसके लिए हमे अभी और लड़ने/आवाज़ उठाने की ज़रूरत है ,इन्ही शब्दों के साथ प्रधान जी द्वारा अपनी बात को समाप्त किया गया!

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संचालनकर्ता द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपने अमूल्य विचार रखते हुए महिलाओं को संबोधित करने के लिए श्रीमती प्रवेश कुमारी) ग्राम प्रधान (को धन्यवाद दिया और कार्यक्रम के अंतिम चरण में बढ़ते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समग्र विकास संस्था के अध्यक्ष श्री राजकुमार शर्मा से आग्रह करते हुए उपस्थित महिलाओं को संबोधित करने के लिए आमन्त्रित किया गया!

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्था अध्यक्ष श्री राजकुमार शर्मा द्वारा सभ को महिला दिवस की बधाई देते हुए बहुत ही शालीनता के साथ बताया कि साइकिल/मोटरसाइकिल को चलाने के लिए 2पहियों की आवश्यकता होती है और यदि दोनों में से कोई भी एक पहिया ख़राब हो जाता है तो हम उसे नहीं चला सकते है ठीक उसी प्रकार समाज को चलाने के लिए महिला व पुरुष दोनों का होना बहुत आवश्यक है यदि दोनों में से एक की भी कमी होगी तो हम लोग समाज को नहीं चला सकते है ! समाज में महिलाओं की भी उतनी भूमिका है जितना की पुरुषों की भूमिका है ,

दोनों में से किसी एक के अभाव में समाज के बीच दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं होता है इसलिए हमे आपस में मिल-जुलकर रहना चाहिए और सभी को समानता का अधिकार देना चाहिए ! आज भी देखा जाता है कि परिवार में यदि 2 बच्चे 1) लड़का व 1 लड़की (है और परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य है तो वह लड़की को तो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते है और लड़के के लिए कोई अच्छा सा प्राइवेट स्कूल ढूंढकर वहां पढ़ाना चाहते है ! मै यह संदेश नहीं देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में ही पढ़ाये बल्कि मेरा इतना कहना है कि समाज में महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार

होते है उसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है इसलिए जिस प्रकार आप अगर लड़के को प्राइवेट अचूल में पढ़ा सकते है तो थोड़ी और मेहनत करेंगे तो लड़की को भी पढ़ा सकते है और फिर भी नहीं पढ़ा सकते है तो आप लड़के को भी उसी सरकारी सरकारी स्कूल में पढ़ाये जहाँ लड़की को पढ़ते है ,इसी प्रकार के अनेकों उदाहरण देते हुए महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए संवेदित किया और अन्त में संस्था अध्यक्ष महोदय द्वारा एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी किया गया जिसमे उपस्थित सभी लोगों को शपथ दिलवाई गई कि हम सभी लोग आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शपथ लेते है कि हम लोग अपने बच्चों में किसी भी प्रकार का कोई भेद भाव नहीं करेंगे ,लड़का हो या लड़की दोनों को समान समझेंगे और समान शिक्षा दिलवाएंगे साथ ही अपने गॉव से बाल श्रम और बाल विवाह जैसी सामजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे ,इसी शपथ के साथ संस्था अध्यक्ष द्वारा अपनी बात को विराम देते हुए अपने उद्बोधन को समाप्त किया!

कार्यक्रम के अन्त में संस्था समन्वयक मो० हन्नान खां द्वारा कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देने के लिए उपस्थित सभी अतिथियों व प्रतिभागियों का आभार व धन्यवाद व्यक्त किया जिससे कार्यक्रम का सफल आयोजन हो सका साथ ही साथ कार्यक्रम में अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण निष्ठा व लगन से निर्वहन करने के लिए संस्था स्टाफ का भी बहुत-बहुत धन्यवाद दिया और सभी को सूचित किया गया कि संस्था के माध्यम से जलपान की व्यवस्था की गई साथी लोग जलपान लेकर जाये ,इसी के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया ! कार्यक्रम में प्रमुख रूप से साक्षी शर्मा , हीरेन्द्र सिंह ,गौरव कुमार ,शशी ,कान्ती ,कुसुम ,उमराय व ढाकन सिंह सहित 68 महिलाएं 14 पुरुष 28 किशोरियां मिलाकर कुल 110 लोग उपस्थित रहे!

समग्र विकास संस्थान द्वारा मनाया गया अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस

रेड हैन्डेड न्यूज

बदायूँ। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समग्र विकास संस्थान द्वारा विकास खण्ड उसावां के ग्राम बिचोला पंचायत भवन में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान प्रवेश कुमारी मौजूद रहीं अध्यक्षता समग्र विकास संस्थान के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने की। संस्था की सीनियर फैसिलिटेटर साक्षी ने महिलाओं को महिला दिवस के इतिहास के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि 1908 में महिलाओं ने अपने हक की लड़ाई की शुरूआत की थी और तब से ही हम 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे है। संस्था की कान्ति देवी ने बाल विवाह निषेध एवं प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बताया 18 वर्ष से कम उम्र में लड़की की शादी करना तथा 21 वर्ष से कम उम्र में लड़के की शादी करना कानूनन अपराध है, जिसके लिए 1 लाख रुपये तक के जुमार्ना व 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। संस्था की शशि ने बालश्रम पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित कर समझाया कि 6-14 वर्ष के किसी भी बच्चे से कार्य करवाना कानूनन अपराध है ऐसा करने पर 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक कि सजा का प्रावधान है। संस्था की कुसुम ने घरेलू हिंसा के बारे में बिस्तार बताया कि लोगों को घर में आपस मे मिल जुलकर रहना चाहिए किसी भी प्रकार की समस्या होने पर सर्वप्रथम स्थानीय स्तर पर उसके समाधान का प्रयास करना चाहिए और यदि फिर भी समाधान नही होता है तो टोल फ्री नंबर 1090 महिला हेल्पलाइन नम्बर का प्रयोग करें।

कार्यक्रम में ऐसी महिलाओं को बैज व माला पहनाकर सम्मानित किया गया जो सामाजिक बाधाओं को तोडकर समाज के बीच उत्कृष्ट कार्य कर रही है। ग्राम प्रधान प्रवेश कुमारी ने बताया महिलाओं को अपने हक की लड़ाई लड़ने चाहिए जिस तरह हमे होली दीवाली को उत्सव के रूप में मनाते है उसी तरह हमे महिला दिवस को भी उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। अध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने बताया जिस दिन हम लोग अपनी बात खुद से करने लगेंगे उस दिन हम महिलाओं को बराबरी का हक मिलने लगेगा इसलिए हम सब लोगों को चाहिए कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाये और आगे बढ़ने का अवसर दें बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने के लिए लिए शपथ भी दिलवाई गई। संचालन संस्था समन्वयक मो. हन्नान खान ने किया इस मौके फर गयादीन शर्मा, हीरेन्द्र सिंह, गौरव कुमार, ढाकन सिंह, उमराय सिंह सहित 110 महिलाओं व बच्चों ने प्रतिभाग किया।

अन्तर्राष्ट्रीय बालश्रम उन्मूलन दिवस कार्यक्रम

रूपरेखा :- संस्था द्वारा आयोजित होने वाली माह मई की मासिक समीक्षा बैठक में माह जून में किये जाने वाले कार्यों की चर्चा की गयी जिस पर संस्था अध्यक्ष श्री राजकुमार शर्मा जी ने सभी साथियों को सुझाव दिया कि 12 जून की अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन दिवस है जिसके उपलक्ष्य में कार्यक्षेत्र में एक प्रोग्राम होना चाहिए ! कार्यक्रम समन्वयक मोहम्मद हन्नान खां ने सभी साथियों को सुझाव दिया की सभी साथी आपस में चर्चा करके ये सुनिश्चित करे कि कार्यक्रम किस गाँव में किया जाना है जिससे आगे की रूपरेखा पर चर्चा की जा सके ! सभी साथियों की आपसी सहमती से कार्येक्रम के लिए ब्लॉक उसावां के ग्राम गढ़ियाहरदोपट्टी का चयन किया गया ! गाँव का चयन होने के बाद कार्यक्रम समन्वयक द्वारा सभी साथियों को कार्यक्रम के लिए उनकी जिम्मेदारियां बताई और किसे किस बिषय पर बात करनी है यह भी बताया ! कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूम में ग्राम प्रधान तथा प्रेमा देवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को आमंत्रित करने तथा कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संस्था सुपरवाईजर श्री हीरेन्द्र सिंह और संस्था कार्यकर्ता श्री ढाकन सिंह को दी गयी ! कार्यक्रम समन्वयक ने सभी साथियों को अपनी ज़िम्मेदारी पर सही कार्य करने व कार्येक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार कर दिनांक 05-06-2024 तक बदायूं कार्यालय पर देने का सुझाव दिया जिसके अनुसार सभी साथियों द्वारा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया गया और तैयार रूपरेखा को संस्था अध्यक्ष और कार्येक्रम समन्वयक के साथ साझा किया गया !

प्रस्तावना :- आज दिनांक 12.06.2024 को ग्राम गढ़िया हरदोपट्टी के श्रीमती प्रेमा देवी इंटर कॉलेज में निश्चित रूपरेखा के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया ! कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए संस्था अध्यक्ष श्री राजकुमार शर्मा जी व प्रेमा देवी इन्टर कॉलेज के प्रधानाध्यापक श्री विनोद पाराशरी जी द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रैली की शुरुआत की गई, कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों द्वारा गॉव में गली गली घूम कर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया ! रैली में बच्चों के माध्यम से समुदाय के लोगों को बच्चों से बाल श्रम न करवाने और उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए अनेक प्रकार के नारे लगवाए गये तथा कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया गया !

रैली का आयोजन होने के बाद विद्यालय प्रांगण में समुदाय के सदस्यों व बच्चों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कार्येक्रम को आगे बढ़ाते हुए मो० हन्नान खान द्वारा कार्यक्रम का संचालन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी मुख्य अतिथि का स्वागत किया और उनके स्वागत में गाँव की किशोरियों (रौशनी, आरती, रजनी, सविता) से स्वागत गीत व सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया ! सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने के बाद संचालनकर्ता

द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों को कार्यक्रम का उदेश्य बताते हुए कहा कि आज हम सभी अन्तर्राष्ट्रीय बालश्रम उन्मूलन दिवस को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए है ! आज का पूरा कार्यक्रम बालश्रम के विषय पर फोकस रहेगा जिसके माध्यम से साथी लोग आपको बाल श्रम उन्मूलन दिवस का इतिहास, बाल श्रम की परिभाषा व उससे होने वाले दुष्परिणाम तथा बालश्रम के लिए देश में संचालित कानून आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे ! संचालनकर्ता द्वारा सर्वप्रथम संस्था कार्यकत्री श्रीमती शशि से आग्रह करते हुए बालश्रम का अर्थ व उसकी परिभाषा पर प्रकाश डालने के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया ! शशि जी ने सभी सदस्यों को बालश्रम पर जानकारी देते हुए बताया कि 06 से 14 वर्ष के बच्चों से ऐसा कोई भी कार्य करवाना जिसके बदले में उन्हें कोई भी आर्थिक मदद मिलती हो "बाल श्रम" कहलाता है ! आगे जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों की यह उम्र पढ़ने-लिखने की होती है और ऐसे में जब आप लोग उनसे काम करवाते है तो वह बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए नुकसानदायक होता है साथ ही यह कानूनन अपराध है ! मै ये नही कहती कि आप अपने बच्चों से काम न करवाए ज़रूर करवाए लेकिन वो काम जिससे उन्हें कोई नुकसान न हो जैसे घर पर रहकर माता पिता के काम में हाथ बटाना लेकिन वही जब आप बच्चों को शिक्षा से घर बैठा कर उन्हें खेतों तथा अन्य जगह काम पर लगा देते है तो वह बालश्रम की श्रेणी में आता है ! जब बच्चे कम उम्र में काम करने लगते है तो फिर उनका मन पढ़ाई मे नही लगता है ! कभी कभी बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते है इसलिए मै सभी अभिभावकों से कहना चाहती हूँ की आप सभी अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करे जिससे आगे चलकर वे आत्मनिर्भर बन सके !

संचालनकर्ता द्वारा साथी श्रीमती शशि की बात को आगे बढ़ाते हुए उपस्थित सभी सदस्यों को बताया कि 06 से 14 वर्ष के बच्चों से कोई भी कार्य करवाना जिसके बदले में उसे किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, वह "बालश्रम" कहलाता है जो कानूनन जुर्म है तथा 14 से 18 वर्ष के बच्चों से कुछ शर्तं के आधार पर कार्य करा सकते है लेकिन उसमे भी बच्चे की शिक्षा बाधित न हो ! संचालनकर्ता ने बताया कि प्रत्येक कार्य उम्र अनुसार किया जाये तो अवश्य ही सफलता मिलती है, जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए यदि उस उम्र में काम कराया जायेगा तो उनका सर्वांगीण विकास नही हो पायेगा इसलिए सभी अपने बच्चो को बालश्रम से मुक्त करवाते हुए शिक्षा से जोड़ने पर ज़ोर देना चाहिए ! कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संचालनकर्ता द्वारा बालश्रम उन्मूलन दिवस के इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए संस्था कार्यकर्ता श्री उमराय सिंह को मंच पर आमंत्रित कर साथियों का क्षमता वर्धन करने का आग्रह किया गया !

साथी श्री उमराय सिंह ने अपनी बात की शुरुआत करते हुए बताया कि पूरे इतिहास में बच्चों ने कृषि, श्रम और हस्तशिल्प के माध्यम से अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को बनायें रखने में योगदान दिया है हालांकि 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिक क्रांति के दौरान विनिर्माण और कृषि मशीनीकरण के विकास के कारण कई बच्चों को कारखानों और खेतो में ख़तरनाक परिस्थितियों में काम करना पड़ा ! इसके आगे जानकारी देते हुए बताया गया कि विक्टोरिया युग में बाल श्रम बहुत ही घटक और ख़तरनाक हो गया था क्यूंकि चार साल की उम्र के बच्चे भी औद्योगिक कारखानों में काम करते थे उनसे अपेक्षा की जाती थी की वे कोयले की खदानों में बड़े लोगों के लिए बहुत संकरी सुरंगों से रेंगकर गुज़रे जिससे उनकी जान को खतरा हो साथ ही काम के घंटे लम्बे थे जो 52 से 80 घंटों के बीच थे जबकि उनका वेतन बहुत कम था ! उस समय बच्चों की स्थिति बहुत ख़राब थी ! इसके परिणामस्वरुप ऐसे कानून बनाए गए जो न केवल बच्चों के काम करने की स्थिति को विनियमित करते थे बल्कि शिक्षा को भी अनिवार्य बनाते थे ! आज भी बच्चों से बाल श्रम कराया जाता है जब तक अभिभावक स्वयं जागरूक होकर बच्चों के प्रति सक्रिय नही होगे तब तक बाल श्रम जैसी कुप्रथा का अंत नही होगा इसलिए मै सभी से कहना चाहता हूँ की सभी अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करे !

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संचालनकर्ता द्वारा साथी कु० बुशरा को मंच पर आमंत्रित करते हुए उपस्थित समुदाय के लोगों व बच्चों को बाल श्रम कराने के कारण व उसके दुष्परिणामों के बारे में बात करने के लिए आग्रह किया !

कु० बुशरा ने अपने वक्तव्य में बताया कि जिस तरह सभी सदस्यों ने आपको बाल श्रम के बारे में समझाया है कि किस तरह बच्चों से काम करवाया जाता है और इसका इतिहास भी काफी पुराना है और यह कुप्रथा आज भी समाज में चली आ रही है तो ज़रूरी है कि हम लोगों को समझना होगा कि आखिर कौन से कारण है कि बच्चों से बाल श्रम करवाया जाता है ! बालश्रम के कारणों की बात करें तो ऐसे बहुत से कारण है जिसकारन बच्चों से श्रम करवाया जाता है उनमे से कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्न है :-

1. जनसंख्या वृद्धि :- भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि बालश्रम का एक महत्वपूर्ण कारण है ! परिवारों में बच्चों की संख्या ज़्यादा होने से एक व्यक्ति को परिवार का भरण पोषण करने में परेशानी होती है जिस कारण कम उम्र में ही वे अपने बच्चों को काम पर लगा देते है जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिल सके !

2. निर्धनता :- निर्धनता भी बाल श्रम को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कारण है ! परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण भी अभिभावक अपने बच्चों को छोटी उम्र में आर्थिक गतिविधियों में लगा देते है जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिल सकें !
3. अशिक्षा :- समाज में शिक्षा के प्रति उदासीन द्रष्टिकोण भी बाल श्रम को बढ़ावा देता है ! प्रायः देखा जाता है कि समुदाय के लोग प्रत्यक्ष मिलने वाले लाभ को ज़्यादा महत्व देते है और कम उम्र में ही अपने बच्चों को काम पर लगा देते है !

कु० बुशरा ने बालश्रम के दुष्परिणामों पर जानकारी देते हुए बताया कि छोटी उम्र में जब बच्चे आर्थिक कार्यों में लिप्त हो जाते है तो अक्सर बच्चे गलत रास्ते पर चलने लगते है ! जब बच्चों के हाथ में रुपए आने लगते है तो वे बड़ों के समान नशा करने लगते है ! बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है ! बच्चों के सभी बाल अधिकारों का हनन होने लगता है ! बच्चे शिक्षा के महत्त्व को नही समझते है और आगे चलकर यही बच्चे अपने परिवार में अन्य बाचों को भी पढने का मौका नही देंगे ! इसलिए मै आप सभी उपस्थित अभिभावकों से कहना चाहूगी की आप अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करे और उन्हें शिक्षित करें !

कार्यक्रम के अगले क्रम में संचालनकर्ता महोदय ने कुमारी बुशरा द्वारा दी गयी जानकारी पर सभी सदस्यों को बताया कि छोटी उम्र में बच्चों को आर्थिक गतिविधियों में लगा देने से बच्चे शिक्षा से तो बंचित होते ही है साथ ही साथ उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास भी बाधित होता है ! इसके दूसरी तरफ आप सभी कानून की नजरों मर भी दोषी होते है ! इसके लिए मै संस्था की सीनियर फेसिलिटेटर श्रीमती साक्षी शर्मा को मंच पर आमंत्रित करूँगा कि वह आये और उपस्थित सदस्यों को बाल श्रम कानून के विषय पर सभी का क्षमता वर्धन करें!

श्रीमती साक्षी शर्मा ने कहा की अभी तक हमने बाल श्रम की परिभाषा, कारण तथा दुष्परिणामों पर चर्चा की ! साक्षी शर्मा ने कहा की जब कोई कार्य गलत होता है और यदि वह समाज के लिए कुप्रथा बन जाता है तो फिर उस पर नियंत्रण पाना अति आवश्यक हो जाता है ! बाल श्रम ऐसी ही एक समाजिक कुप्रथा है जिससे देश का भबिष्य कहे जाने बाले बच्चों का सर्वांगीण विकास प्रभाबित होता है ! इस कुप्रथा को रोकने के लिए सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया है जिसे बाल श्रम कानून कहा जाता है ! साक्षी शर्मा ने बताया की सर्वप्रथम बाल श्रम कानून सन 1986 में बना जिसे बाल एवं किशोर प्रतिषेद एवं विनियमन अधिनियम 1986 का नाम दिया गया ! इस कानून में सन 2016 में संशोधन किया गया ! बर्तमान समय में बाल श्रम संशोधित अधिनियम 2016 ही भारत में लागू है ! इस कानून में अनेक धाराएँ है जिसमे बच्चों द्वारा कराये जाने बाले कार्यों का उल्लेख किया गया है !

बाल श्रम कानून की धारा 04 के अनुसार 06 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के ऐसा कोई भी कार्य करवाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है जिस कार्य से बच्चों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है ! सभी सदस्यों को जानकारी दी गयी की इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कानून बनाया गया जिसमे 06 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को कक्षा 01 से 08 तक निशुल्क शिक्षा का प्रावधन किया गया है ! कोई भी अभिभावक ये नही कह सकता की आर्थिक तंगी के चलते बच्चों को पढ़ने में परेशानी होती है क्योकि इस कानून के तहत प्रत्येक गाँव में प्राथमिक विधालय संचालित है तथा 03 किलो मीटर के अतंराल पर उच्च प्राथमिक विधालय खुले हुए है ! इसलिए कक्षा 08 तक जब बच्चों की पढाई बिलकुल निशुल्क कर दी गयी है तो ऐसे में उन बच्चों को आर्थिक कार्यों में लगाना कानूनी अपराध है !

आगे के क्रम में साक्षी शर्मा ने बताया की बाल श्रम कानून की धारा 0 के अनुसार 14 से 1 वर्ष के बच्चों से कुछ शर्तों के आधार पर कार्य करने की छूट दी गई है !

धारा 07 में बच्चों (14-18 वर्ष) के कार्य करने के घंटो का निर्धारण किया गया है ! बताया गया है की बच्चों से अधिकतम 06 घंटे ही कार्य कराया जायेगा जिसमे 01 घंटा आराम करने के लिए दिया जायेगा ! बच्चों से रात्रि 07 बजे से सुबह 08 बजे तक तो बिलकुल भी काम नही कराया जायेगा !

धारा 08 के अनुसार सप्ताह में एक दिन बच्चे को पूर्ण अवकाश दिया जायेगा !

धारा 09 के अनुसार बच्चे को काम पर लगाने से पहले दूकानदार को सम्बंधित विभाग (श्रम विभाग) में बच्चे के काम करने की सुचना दिया जाना आवश्यक है !

धारा 11 के अनुसार दुकानदार के पास बच्चे का नाम , आयु , काम करने के घंटे , अवकाशआदि से सम्बंधित रजिस्टर होना चाहिए !

आगे के क्रम में साक्षी शर्मा ने बताया कि यदि कोई भी उक्त धाराओं का उलंघन करता है तो 06 माह से 02 वर्ष तक की सजा तथा 20000 से 50000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है ! साथ ही साथ ये भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार कानून का उलन्घन करता हुआ पाया गया तो उक्त सजा तथा जुर्माना दोगुना हो जायेगा ! इसलिए मै आप सभी अभिभावकों से कहना चाहूंगी कि आप सभी अपने बच्चों को बाल श्रम जैसी कुप्रथा से दूर रखे और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करें !

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संचालनकर्ता महोदय ने कहा कि अभी आपने बाल श्रम कानून पर विस्तार से जानकारी प्राप्त की ! मै कानून के तहत बच्चों के पुनर्वास पर बात करना चाहूँगा और

आप सभी को बताना चाहता हूँ कि श्रम विभाग की तरफ से बाल श्रमिक बच्चों की शिक्षा व भरण पोषण के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ! सभी को जानकारी दी गई की यदि कोई बच्चा बाल श्रम से मुक्त होता है और पुनः शिक्षा से जुड़ता है तो ऐसे पात्र बच्चों का आवेदन बाल श्रमिक विद्या योजना में करवा सकते है ! इस योजना के तहत लड़कों को 1000 रूपये तथा लड़कियों को 1200 रुपए प्रति माह दिए जाने का प्रावधन किया गया है ! इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अभी एक और योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है एस्पोंसरशिप योजना इस योजना के तहत पात्र बच्चों को 4000 रुपए प्रति माह दिए जाने का प्रावधन किया गया है ! इसलिए मै आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सभी अपने अपने बच्चों बाल श्रम से दूर रखें और शिक्षा से जोड़ते हुए सम्बंधित योजना में आवेदन कराएँ !

कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालनकर्ता महोदय ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रेमा देवी इंटर कॉलेज के प्रधानाद्यापक श्री विनोद पाराशरी जी से आग्रह किया कि वह उपस्थित अभिभावकों को अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति सक्रिय होने के लिए प्रेरित करें ! जिस पर श्री विनोद जी ने उपस्थित सदस्यों को बताया की बाल श्रम एक ऐसी कुप्रथा है जिसे आपसी सहयोग द्वारा ही ख़त्म किया जा सकता है ! हम सभी को समग्र विकास संस्थान का धन्यबाद करना चाहिए कि ये संस्था हमारे गाँव में बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा पर कार्य कर रही है ! श्री विनोद जी ने बताया की परिबर्तन संसार का नियम है मै कई वर्षों से प्रेमा देवी इंटर कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ ! पहले इस गाँव में बेटियों को पढ़ना बिलकुल प्रतिबंधित था लेकिन आज के समय में काफी मात्र में लड़कियां हमारे विधालय में पढ़ रही है ! ये एक सकारात्मक परिबर्तन है ऐसे में बाल श्रम भी जागरूकता के माध्यम से ही ख़त्म हो सकेगा जिसके लिए हम सभी को मिलकर काम करने की जरुरत है !

संचालनकर्ता महुदय द्वारा मुख्य अतिथि का धन्यबाद किया गया की उन्होंने सभी को सक्रिय होकर मिलकर बाल श्रम को ख़त्म करने की बात की !

कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में संचालनकर्ता महोदय द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्था के अध्यक्ष श्री राजकुमार शर्मा को मंच पर आमंत्रित किया और कहा की वह कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों व् उनके अभिभावकों को बाल श्रम पर जागरूक करे !

संस्था अध्यक्ष श्री राजकुमार शर्मा ने उपस्थित सभी साथियों से कहा कि हम और हमारी संस्था के साथी केवल आप सभी को बाल श्रम न करबाने के लिए प्रेरित कर सकते है बाकि जब तक आप अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के विषय में नही जागरूक होने तब तक इस कुप्रथा को ख़त्म नही किया जा सकता है ! उपस्थित सभी सदस्यों से सपथ दिलबाई गई की वे न ही अपने बच्चों से

बाल श्रम करबयेंगे और न ही अपने गाँव के किसी बच्चे को बाल श्रम करने देंगे , यदि कोई ऐसा करता भी है तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप 1098 पर सुचना देंगे और उस बच्चे का पुनर्वास करवाने में सहयोग करेंगे !

संस्था अध्यक्ष के उद्बोधन के साथ ही संचालनकर्ता द्वारा कार्येक्रम के समापन की घोषणा की गई!

विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम

दिनांक 05 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यक्षेत्र के ग्रामों में बाल समूह किशोर समूह व किशोरी समूह के सदस्यों के साथ बैठकें आयोजित करके पर्यावरण दिवस के बारे में जानकारी डी गई इसके साथ ही साथ उपस्थित लोगों को पर्यावरण को बनाये रखने का सन्देश भी दिया गया तथा गॉव-गॉव में पौधारोपण करते हुए पौधे की सुरक्षा करने के बारे में समझाया गया !

संस्था द्वारा किये गए कार्यों का आंकिक विवरण

- 44 अनाथ/एकल परिवारो के बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अन्तर्गत लाभान्वित करवाया गया !
- 17 बच्चों को बालश्रम से मुक्त करवाते हुए बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत लाभान्वित करवाया गया !
- एक परिवार को शादी अनुदान के तहत 55000/- की आर्थिक सहयता दिलवाई गई !
- 6 बच्चों के बाल विवाह रुकवाए गए तथा उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़वाया गया !
- कार्यक्षेत्र के ग्रामों में 6 माध्यमिक विद्यालय की मांग स्वीकृत हुई !
- कार्यक्षेत्र के 5 ग्रामों में आंगनवाड़ी केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति मिली !
- 0-5 वर्ष के बच्चों को पोषण सुविधा प्रधान करने के लिए विकास खण्ड उसावां के 5 ग्रामों में 250 बच्चों को प्रतिदिन 150 ml दूध व 2 पारले-g बिस्कुट वितरित की गई !
- 0-5 वर्ष के 250 बच्चों को ड्रेस व जूता मोज़ा वितरित किये गए !
- 200 परिवारों को 25-25 kg. आटा वितरित किया गया !
- 160 परिवारों को 50-50 kg. चावल वितरित किये गए !